



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53691

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9006 वर्ष 2026

निखिल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	चंद्र भूषण प्रसाद
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.के. चौधरी को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक निखिल की ओर से मामला अपराध संख्या 464 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 109(1), 3(5), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस स्टेशन कोतवाली नगर, जिला मुजफ्फर नगर में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. संक्षेप में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदक सहित चार अभियुक्तों ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर राजा, कार्तिक और प्रियांशु उर्फ शिवा नामक तीन लोगों को धारदार हथियार से घायल किया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है। आवेदक 14.12.2025 से जेल में बंद है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, लेकिन घायल व्यक्तियों को धारदार हथियार से चोट पहुंचाने के संबंध में आवेदक की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही घायल व्यक्तियों के अभिकथनों में बताई गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घायल व्यक्तियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने अभिकथनों में धारदार हथियार से चोट पहुंचाने का आरोप सह-अभियुक्त सागर पाल पर लगाया है, जबकि आवेदक पर केवल घायलों को पकड़ने का आरोप लगाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार घायल व्यक्तियों को चीरे के घाव लगे हैं, लेकिन उक्त चोट पहुंचाने का आरोप सह-अभियुक्त सागर पाल पर लगाया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का उसका अपने लिए कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। प्रस्तुत किया गया है कि परीक्षण में पर्याप्त रूप से लम्बा समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, जमानत की प्रार्थना की गई है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय परीक्षण से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे किसी प्रकार का अनुग्रह नहीं दिया जाना चाहिए। आगे यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।

6. उपरोक्त उल्लिखित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट या घायल व्यक्तियों के अभिकथनों में घायल व्यक्तियों को धारदार हथियार से चोट पहुंचाने के संबंध में आवेदक की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका नहीं बताई गई है, घायल व्यक्तियों ने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने अभिकथनों में धारदार हथियार से चोट पहुंचाने का आरोप सह-अभियुक्त सागर पाल पर लगाया है, जबकि आवेदक को केवल घायलों को पकड़ने का आरोप लगाया गया है, अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार घायल

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यक्तियों को चीरे के घाव लगे हैं, लेकिन उपरोक्त चोट पहुंचाने का आरोप सह-अभियुक्त सागर पाल पर लगाया गया है, उसका अपना कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, आरोपपत्र 20.2.2026 को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए, परीक्षण के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को देखते हुए, अभियोजन पक्ष के साक्षियों को डराने या उन पर दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के **मनीष सिसोदिया बनाम निदेशालय प्रवर्तन 2024 (एससी) लॉ सूट 677** मामले में प्रस्तर संख्या 53, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** और **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51** में सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही साक्षियों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक को इस आशय का एक वचनबंध देना होगा कि जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा।
- (iii) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं उपस्थित रहना होगा या संबंधित न्यायालय द्वारा निर्देशित अनुसार उपस्थित रहना होगा।
- (iv) आवेदक को (i) परीक्षण की शुरुआत करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) अभियुक्त का व्यक्तिगत अभिकथन दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा, ताकि वह अपने विरुद्ध साक्ष्य में सामने आने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) यदि आवेदक परीक्षण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के क्रम में, परीक्षण न्यायालय कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कड़ाई से कार्यवाही शुरू करेगी।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, परीक्षण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का यह एक आधार होगा।

8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापन किया जाए।

17 मार्च, 2026

आरए

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।